न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
दाण्डिक वाद सं०–16/2008
रजि नं०–60016/2008

CNR No. UPLP01–000434–2008

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर पासी निवासी मडराही, थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी।
2–रामू पुत्र सन्तराम पासी निवासी मुराउन टोला ढखवा ओयल, थाना व जिला खीरी।
3–उत्तम पुत्र मनोहर पासी निवासी झंसिया मजरा कटिया थाना व जिला खीर।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–333/2007
धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–फरधान, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–333/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र, उत्तम व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक एस०ओ० विजय सिंह द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर इस प्रकार है कि, अभियुक्तगण पाले उर्फ रामपाल, रामू, पप्पू, सुरेन्द्र, उत्तम व जाफर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा गिरोह बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करते है। इनके द्वारा भा०दं०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध किये गये है। इनके आतंक से जनता भयभीत रहती है तथा इनके द्वारा किये गये अपराधों की सूचना एवं इनके विरूद्ध गवाही देने का साहस नहीं करती है। इनके अपराध पर अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है। उक्त आपराधिक विवरण से इनके विरूद्ध अन्तर्गत धारा–2/3 गैंगस्टर अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनता है, जिस सम्बन्ध में गैंगचार्ट जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदितशुदा प्राप्त है।

3– वादी मुकदमा एस०ओ० विजय सिंह द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र, उत्तम व अन्य के विरूद्ध दिनांक 16–06–2007 को समय 09:15 बजे, थाना–फरधान, जिला खीरी में मु०अ०सं०–333/2007, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र, उत्तम व अन्य के विरूद्ध मु०अ०सं०–333/2007, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– दौरान विचारण अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र, उत्तम की पत्रावली पृथक गयी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद में मात्र अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र, उत्तम का विचारण किया जा रहा है।

6– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र व उत्तम के विरूद्ध दिनांक 03–01–2019 को धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मु०अ०सं०–202/07 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति, गैंगचार्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी० कार्बन प्रति व आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है, परन्तु जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 09–07–2026 को लेखबद्व किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत तथा साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन करते हुए अपने विरूद्ध गलत मुकदमा चलने का कथन किया है। अतिरिक्त कथन में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

10– अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। सफाई साक्ष्य के रूप में अभियुक्त की ओर से सूची कागज सं०–8ख के माध्यम से मु०अ०सं०–202/07 से सम्बन्धित आलोच्य आदेश दिनांकित 04–04–2011 एवं मु०अ०सं०–215/07 से सम्बन्धित आलोच्य आदेश दिनांकित 29–01–2024 की प्रमाणित सत्यप्रतिलिप दाखिल किया गया है।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 16–06–2007 से पूर्व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में उक्त गिरोह के सरगना अथवा सदस्य के रूप में अभियुक्तगण द्वारा हिंसा, धमकी अथवा हिंसा का प्रदर्शन कर और इसी प्रकार के अन्य अपराधों को सामाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने के उद्देश्य से स्वयं अपने अथवा गिरोह के किसी सदस्य को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुंचाने के लिये भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध कर समाज विरोधी क्रिया कलापो में संलिप्त रहे।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे०आई०सी० 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्तगण रामू व सुरेन्द्र के विरूद्ध मु०अ०सं०–202/07 धारा–396,412 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–215/07 धारा–307 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त उत्तम के विरूद्ध मु०अ०सं०–202/07 धारा–396,412 भा०दं०सं० थाना फरधान, जिला लखीमपुर खी–री में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 22–10–2021 में कथन किया है कि, "घटना दिनांक 14 मार्च सन् 2007 समय करीब साढ़े 11 बजे रात की है। मेरे घर में करीब 8–10 बदमाश घुस आये थे और मुझे डण्डा व असलहा के बट से मारने व पीटने लगे और मेरे बच्चों को पकड़कर कहा कि घर के सारे गहने दे दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार डालेगे। डकैट के मारने पीटने से मेरी बायीं आँख में व अन्य शरीर पर अन्य जगह पर चोट आयी थी। मेरे घर लूट पाट करने के बाद मेरे बड़े भाई मेवालाल के घर में घुसकर और उनके घर का सामान कपड़े व गहने लूट लिये। मेरे भाई मेवालाल को बदमाशों ने तीन फायर करके मार दिया था। जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी थी। उक्त बदमाशों ने मेरी पत्नी पुष्पा व भाभी मीना देवी व मेरी मां सावित्री देवी, कलावती के गहने जिसमें सोने की चेन, चांदी की पायल, नाक की फूल सोने का व 20 हजार करीब नकद तथा घरेलू सामान पूट ले गये थे। मैंने थाने पर अगले दिन मुकदमा लिखाया था। करीब 10–12 दिन बाद पुलिस वालों ने बदमाशों को पकड़ा था। जिनसे गहने व कपड़े की बरामदगी हुई थी, जिसकी पहचान की थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और दरोगा जी ने पूछताछ की थी। पत्रावली में चिक एफ०आई०आर की कार्बन प्रति संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।"

22– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना साढ़े 11 बजे की है। अभियुक्तगण रामू व पप्पू, सुरेन्द्र, उत्तम को नहीं जानता हूं, न ही पहचानता हूं। इन लोगो ने मुझे व मेरे बच्चों को नहीं मारापीटा न ही कोई चोटें आयी है। भाई मेवालाल के घर में उक्त मुल्जिमान नहीं घुसे थे। लूट में सामान जो भी गया था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिन बदमाशों ने मेरे भाई मेवालाल पर फायर की थी, मैं नहीं पहचानता हूं। जो तहरीर मैंने दी थी, वह थाने पर लिखी गयी थी। तहरीर पढ़कर नहीं सुनाया गया, उस पर मेरे हस्ताक्षर है। उसमे क्या लिखा गया था, कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि सिखाने व पढ़ाने से झूठी गवाही दे रहा हूं।"

23– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, घटना दिनांक 14 मार्च सन् 2007 को समय करीब साढ़े 11 बजे रात उसके घर में करीब 8–10 बदमाश घुस आये थे और उसे डण्डा व असलहा के बट से मारापीटा और उसके बच्चों को पकड़कर कहा कि घर के सारे गहने दे दो, नहीं तो बच्चों को मार डालेगे। डकैट के मारने पीटने से उसकी बायीं आँख में व अन्य शरीर पर चोट आयी थी। उसके घर लूट पाट करने के बाद उसके बड़े भाई मेवालाल के घर में घुसकर उनके घर का सामान, कपड़े व गहने लूट लिये थे। उक्त बदमाशों ने उसकी पत्नी पुष्पा व भाभी मीना देवी व मेरी मां सावित्री देवी, कलावती के गहने जिसमें सोने की चेन, चांदी की पायल, नाक की फूल सोने का व 20 हजार करीब नकद तथा घरेलू सामान लूट ले गये थे। जबकि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, अभियुक्तगण रामू व पप्पू, सुरेन्द्र, उत्तम को वह न तो जानता है और न ही पहचानता है। इस साक्षी द्वारा कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए आगे प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण ने उसे व उसके बच्चों को न तो मारापीटा, न ही उन्हें कोई चोटें आयी है। उसके भाई मेवालाल के घर में उक्त मुल्जिमान नहीं घुसे थे। लूट में सामान जो भी गया था, उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है। जिन बदमाशों ने उसके भाई मेवालाल पर फायर की थी, वह उनको नहीं पहचानता

है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में कहीं भी ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई प्रकाश पड़ता हो।

24– इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्सम्बन्धी आधारभूत मुकदमा मु०अ०सं०–202/07 धारा 396,412 भा०दं०सं० बनाम पाले उर्फ रामपाल आदि एवं मु०अ०सं०–215/07 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पाले उर्फ रामपाल आदि में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–5, लखीमपुर–खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 04–04–2011 की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपियां बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर अधीनियम के अन्तर्गत अभियोजन का मुख्य एवं वास्तविक आधार उक्त आपराधिक प्रकरण ही था, जिसे गैंगचार्ट में सम्मिलित कर वर्तमान अभियोजन पंजीकृत किया गया और उक्त आधारभूत मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त अभियुक्तगण को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक प्रकरण से सम्बन्धित मूल तथ्यात्मक आधार, जिस पर गैंगस्टर अभियोजन आधारित था, अस्तित्वहीन हो जाता है।

25– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

26– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

27– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

28– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

29– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

30– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

31– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र व उत्तम पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

32– अभियुक्तगण रामू, सुरेन्द्र व उत्तम को दाण्डिक वाद सं०–16/2008, मु०अ०सं०–333/2007, थाना–फरधान, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

34– अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 04–08–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 04–08–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.08.04 17:09:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court